

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून, 2019-ज्येष्ठ 17, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I, Dhvani Khakhar daughter of Sanjay Khakhar, resident of I-42, LIG colony, Indore Madhya Pradesh declare that my name Dhvani Bhojani daughter of Pankesh Bhojani is incorrect. My correct name is Dhvani Khakhar daughter of Sanjay Khakhar. From now I will be known as Dhvani Khakhar daughter of Sanjay Khakhar for all future purposes.

Old Name :

(**DHWANI BHOJANI**)

(1052-B.)

New Name :

(**DHWANI KHAKHAR**)

Add:-I-LIG Colony, Indore (M.P.)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा नाम अनिल सिंह नेगी पिता गिरधर सिंह नेगी, पता 16/17, न्यू सागर एक्सटेंशन कॉलोनी, कोदरिया, तहसील महू, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) यह घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र का नाम रुपेश नेगी पिता श्री अनिल कुमार सिंह नेगी गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम रुपेश सिंह नेगी पिता श्री अनिल सिंह नेगी है.

(184-बी.)

अनिल सिंह नेगी,

पिता-गिरधर सिंह नेगी,

16/17, न्यू सागर एक्सटेंशन कॉलोनी, कोदरिया,

तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Darshan Kumar Male, Aged 28 years S/o Kanhaiya Lal R/o Durga Nagar, Near Bagdoon Police Station, Pithampur M.P. 454774. Have changed my name from Darshan Rao to Darshan Kumar for all future purpose.

Old Name :

(**DARSHAN RAO**)

S/o Kanhaiya Lal

(217-B.)

New Name :

(**DARSHAN KUMAR**)

S/o Kanhaiya Lal.

CHANGE OF SURNAME

I, Sukrati Onkar married to Bakul Kumar Mandlekar on 08-12-2014, residing at house No. 38, Jaswadi Road, Near Karodi Chakki, Khandwa Madhya Pradesh 450001, have changed my name to Sukrati Mandlekar. I should henceforth be known and recognized as Sukrati Mandlekar in all government and semi government documents.

Old Name :
(**SUKRATI ONKAR**)

New Name :
(**SUKRATI MANDLEKAR**)

(224-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम वर्षा वर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार करोठिया है तथा यही नाम मेरी अंकसूची, आधारकार्ड, वोटकार्ड में दर्ज है जबकि कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम वर्षा करोठिया पुत्री श्री अशोक कुमार करोठिया एवं माता का नाम श्रीमती सुनीता करोठिया अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा मैं, दोनों नाम से जानी-पहचानी, पुकारी जाती हूँ जो कि सत्य व सही है. अब भविष्य में मुझे वर्षा वर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार करोठिया व माता का नाम श्रीमती सुनीता करोठिया के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(**वर्षा करोठिया**)
पुत्री श्री अशोक कुमार करोठिया.

नया नाम :
(**वर्षा वर्मा**)
पुत्री श्री अशोक कुमार करोठिया,
निवास-द्वारिकाधीश कॉलोनी, गांधी रोड,
मुरार, ग्वालियर.

(207-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र पटले (NARENDRA PATLE) पुत्र जीवन लाल पटले (JIVAN LAL PATLE), निवासी-419, एन-3, ए. आर., सी-सेक्टर, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नरेन्द्र (NARENDRA) पुत्र श्री जीवन लाल (JIVAN LAL) दर्ज है. उसके स्थान पर नरेन्द्र पटले (NARENDRA PATLE) पुत्र जीवन लाल पटले (JIVAN LAL PATLE) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(**नरेन्द्र**)
(**NARENDRA**)

नया नाम :
(**नरेन्द्र पटले**)
(**NARENDRA PATLE**)

(208-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, भाविका पारवानी (BHAVIKA PARWANI) पत्नि श्री महेश पारवानी (MAHESH PARWANI), निवासी-म. नं. 8, सैनिक कॉलोनी, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) की हूँ मेरा विवाह पूर्व का नाम कविता पेसवानी (KAVITA PESWANI) पुत्री श्री मोहनलाल पेसवानी (MOHAN LAL PESWANI) दर्ज है. उसके स्थान पर भाविका पारवानी (BHAVIKA PARWANI) पत्नि श्री महेश पारवानी (MAHESH PARWANI) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(**कविता पेसवानी**)
(**KAVITA PESWANI**)

नया नाम :
(**भाविका पारवानी**)
(**BHAVIKA PARWANI**)
पत्नि श्री महेश पारवानी,
(**MAHESH PARWANI**)

(209-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, बृजकिशोर पाराशर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम बृजकिशोर शर्मा था और वर्तमान में मुझे बृजकिशोर पाराशर के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है और बृजकिशोर पाराशर के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ बृजकिशोर शर्मा

एवं बृजकिशोर पाराशर एक ही व्यक्ति के नाम है (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम बृजकिशोर शर्मा लिखा गया है जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम बृजकिशोर शर्मा के स्थान पर बृजकिशोर पाराशर लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(बृजकिशोर शर्मा)
(210-बी.)

नया नाम :
(बृजकिशोर पारासर)
पता-ग्राम भटपुरा, तहसील लहार,
जिला भिण्ड.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम दीपशिखा मिश्रा था. मैंने अपना नाम बदलकर दीपशिखा के. मिश्रा रख लिया है. अब भविष्य में मुझे दीपशिखा के. मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(दीपशिखा मिश्रा)
पुत्री-श्रीलालजी मिश्रा.
(211-बी.)

नया नाम :
(दीपशिखा के. मिश्रा)
पुत्री-श्रीलालजी मिश्रा,
पता-168, टेलीफोन नगर, सिविल लाईन, फारेस्ट कॉलोनी,
इन्दौर रोड, हरदा, तह. व जिला हरदा.

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा नाम बन्टी लाल जाटव है जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. यह कि मैंने स्वेच्छा से अपना नाम विश्वादित्य आजाद कर लिया है. अतः मुझे विश्वादित्य आजाद नाम से जाना-पहचाना जाकर सरकारी/अशासकीय कार्यों में मान्य हो.

पुराना नाम :
(बन्टी लाल जाटव)
(212-बी.)

नया नाम :
(विश्वादित्य आजाद)
पुत्र विशाल सिंह,
निवासी-54, स्याऊ, भितरवार,
ग्वालियर-475220.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शादी के पहले का नाम स्वाती बत्रा (Swati Batra) पुत्री श्री अशोक कुमार बत्रा था यही नाम मेरी भारतीय जीवन बीमा की पॉलिसी क्र. 216462364 में दर्ज है तथा मेरी अंकसूचियों, आधारकार्ड, वोटकार्ड आदि में भी मेरा पुराना नाम दर्ज है. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर भव्या ढींगरा (Bhavya Dhingra) हो गया है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये नाम भव्या ढींगरा पत्नि श्री मनीष ढींगरा के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(स्वाती बत्रा)
पुत्री श्री अशोक कुमार बत्रा.
(213-बी.)

नया नाम :
(भव्या ढींगरा)
पत्नि श्री मनीष ढींगरा,
निवासी-33, सिंध बिहार कॉलोनी,
नदी गेट, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मुझ शपथगृहिता द्वारा यह प्रस्तुत करते हुए सत्य घोषणा की जाती है कि मेरा नाम पूर्व में लीलाधर पुत्र अंबाराम था तथा अब मैं, अपना नाम लीलाधर पिता अंबाराम सोठिया समस्त शासकीय दस्तावेजों में लिख रहा हूँ तथा मेरे सभी परिचित दोस्त व रिश्तेदार आदि अब मुझे समाज में इसी नाम से जानते हैं.

पुराना नाम :
(लीलाधर)
पुत्र अंबाराम.
(214-बी.)

नया नाम :
(लीलाधर सोठिया)
पिता अंबाराम सोठिया.
पता-770, द्वारकापुरी, जैन मंदिर के पीछे,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम रोहित द्विवेदी (ROHIT DWIVEDI) था. जो कि अब बदलकर नया नाम रोहित कुमार द्विवेदी (ROHIT KUMAR DWIVEDI) पुत्र श्री रमेश द्विवेदी, निवासी म. नं. 28, सूबेदार कॉलोनी, टीला जमालपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश हो गया है. अतः अब मुझे इसी नाम से सभी दस्तावेजों में जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(रोहित द्विवेदी)
(ROHIT DWIVEDI)
पुत्र श्री रमेश द्विवेदी
(223-बी.)

नया नाम :
(रोहित कुमार द्विवेदी)
(ROHIT KUMAR DWIVEDI)
पुत्र श्री रमेश द्विवेदी

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पंजीयन क्र. 02/42/01/0239/19, कार्यालय फर्म्स सोसायटी ग्वालियर (म.प्र.) नाम M/S LYF FITNESS, 01 ANAND BHAWAN, HOSPITAL ROAD GWALIOR (M.P) दिनांक 15-05-2019 को भंग हो गई है फर्म्स सोसायटी कार्यालय मोतीमहल ग्वालियर (म.प्र.) आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

ANIIRUDHH MISHRA,
(Partner).

(215-बी.)

जाहिर सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अग्रवाल होस्पिटैलिटी छतरपुर (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्र. 06/12/01/00056/11, सन् 2011-12, दिनांक 27-07-2011 स्थान रामचरित मानस भवन के सामने, पुराना इलाहाबाद बैंक के पास, वार्ड न. 07, छतरपुर (म.प्र.). में श्री बालकृष्ण अग्रवाल तनय श्री नाथूराम अग्रवाल एवं श्री सुनील कुमार अग्रवाल तनय श्री बालकृष्ण अग्रवाल छतरपुर की भागीदारी फर्म मेसर्स अग्रवाल होस्पिटैलिटी छतरपुर में दिनांक 01-04-2017, से श्री विजय अग्रवाल तनय श्री बालकृष्ण अग्रवाल छतरपुर (म.प्र.) भागीदारी में सम्मिलित हो रहे हैं एवं स्थान- NH 75, पन्ना रोड, छतरपुर (म.प्र.). परिवर्तित किया जा रहा है.

मैसर्स अग्रवाल होस्पिटैलिटी,
बालकृष्ण अग्रवाल,
सुनील कुमार अग्रवाल,
(पार्टनर)

पता-NH 75, पन्ना रोड, छतरपुर (म.प्र.).

(216-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पार्श्व लोजिस्टिक्स, पता-डी-10, एच.आई.जी., कालोनी एबी रोड इन्दौर मध्यप्रदेश पंजीकरण क्रमांक 03/27/01/0182/17, दिनांक 03 जून, 2015 से एक भागीदारी फर्म है. उक्त भागीदारी फर्म में 1. श्री पुनीत पारेख 2. श्री सुनील पारेख 3. श्री सुनीत पारेख तीनों निवासी-डी 10, एच.आई.जी. कालोनी, एबी रोड, इन्दौर (म.प्र.). व 4. श्री अमन सक्सेना निवासी- 208 ए ब्लॉक, यशवंत रेजीडेंसी, गीता भवन चौराह के पास इन्दौर, भागीदार थे. अब दिनांक 29 जनवरी, 2018 से 1. श्री सुनील पारेख 2. श्री सुनीत पारेख, व 3. श्री अमन सक्सेना फर्म से स्वेच्छा से सेनानिवृत्त हो रहे हैं व श्रीमती सुनीता पारेख, निवासी-डी-10, एच.आई.जी. कालोनी ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) का सर्वसहमती से फर्म में आगमन हो रहा है. अब इस फर्म का संचालन 1. श्री पुनीत पारेख व 2. श्रीमती सुनीता पारेख कर रहे हैं. उक्त दोनों भागीदारों ने फर्म का पता यथावत् रखा है.

मे. पार्श्व लोजिस्टिक्स,
पुनीत पारेख,
(भागीदार)

(218-बी.)

आम सूचना

मे. हस्तीमल दिलीप कुमार भागीदारी फर्म, पता-34/जी 1, प्रभात प्लाज़ा, यशोदा मंदिर रोड, इन्दौर में दिनांक 01-04-2006 से भागीदारों की सहमती से भागीदारी फर्म में श्री संदीप कुमार बाबूलालजी को भागीदारी फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। यह भागीदारी दिनांक 29-03-1977 से सुचारू रूप से चली आ रही है। सो विदित हो।

(219-बी.)

फर्म मे. हस्तीमल दिलीप कुमार,
हस्तीमल जैन,
(भागीदार).

आम सूचना

मे. नारायण रबर फ़ैक्ट्री भागीदारी फर्म, पता-17 डी, सेक्टर सी, सांवेर रोड, इन्दौर में दिनांक 11-02-2018 को भागीदार श्री नंदकिशोर शर्मा आत्मज श्री रिछपालजी शर्मा का स्वर्गवास होने के कारण दिनांक 12-02-2018 से भागीदारी फर्म में शेष भागीदार की सहमती से नये भागीदार श्रीमती किरण शर्मा को भागीदारी फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। सो विदित हो।

(220-बी.)

फर्म मे. नारायण रबर फ़ैक्ट्री,
ओमप्रकाश शर्मा,
(भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जेटानंद एंड संस फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 10-11-2018 को श्री हर्ष हासानंदानी पिता श्री विनोद कुमार हासानंदानी एवं श्री पलाश हासानंदानी पिता श्री विनोद कुमार हासानंदानी दोनों निवासी-15-सी, संपत फार्म, बिचौलि मर्दाना, स्कीम नं. 140 के पास, इंदौर फर्म में भागीदारी के रूप से शामिल हुये हैं साथ ही इसी दिनांक 10-11-2018, को श्री जेटानंद हासानंदानी पिता स्व. श्री अर्जुनदास हासानंदानी, निवासी- 15-सी, संपत फार्म, बिचौलि मर्दाना, स्किम नं. 140 के पास, इंदौर फर्म से पृथक् हो गए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है।

(221-बी.)

द्वारा-जेटानंद एण्ड संस,
विनोद कुमार हासानंदानी,
(भागीदार)
पता-सम्यक टावर, ग्राउंड फ्लोर,
आई.के.डी.सी. कॉलेज के पास, 16/3,
ओल्ड पलासिया, इंदौर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एस आर एस इन्डस्ट्री में दिनांक 10-02-2019 से फर्म में नये पार्टनर ओमप्रकाश गुप्ता को शामिल किया जाता है। शेष पार्टनर फर्म में यथावत रहेंगे।

(222-बी.)

एस आर एस इन्डस्ट्री,
संतोष कुमार गुप्ता,
(भागीदार)
रीवा (म.प्र.).

विविध**निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 29 मई, 2019

क्र. जी. बी./चार(5)2019-20/1163.— नगर पालिका निर्वाचन, 2019 के भिन्न-भिन्न आकार एवं रंगों के लिफाफों (निर्धारित स्पेसिफिकेशन) को 80 जीएसएम. के पेपर पर मुद्रण, बंधन एवं प्रदाय हेतु लिफाफा निर्माताओं से ई-टेंडरिंग वेबसाइट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 14 जून, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

ऑनलाईन निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है।

किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

(364)

Bhopal, Dated 29th May, 2019**TENDER NOTICE**

No. GB-IV/Paper (5)/2019-20/1163.—ONLINE Bidding are invited on www.mptenders.gov.in from the Envelopes making Manufacturers for the supply of different sizes and colours of Envelopes (As per Specification) for the Nagar Palika Election 2019. Rates are including 80 GSM Paper, Printing, Binding and Other charges with all taxes are invited as per key dates. The Envelope of Hard Copy and downloading of E-tender document on 14-06-2019 at 3:00 P.M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

2. In all respects complete Hard Copy of tender document certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the Office of the undersigned as per key dates.
3. Tender Notice and conditions of tender with technical details are also available at website www.govtpressmp.nic.in.
4. All Corrigendum/amendment/changes, if any will be issued and made available only on www.mptenders.gov.in.

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(364-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रामपुर-बाघेलान एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-04

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक सतना जिले के समक्ष.

अतः कि श्री द्वारिका नाथ मदन पुत्र श्री देवान चंद मदन, निवासी रामवन बाबा की कुटिया रामपुर-बाघेलान, जिला सतना म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 16 मई, 2019 में मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | श्री रामसाधना एवं सेवा संस्थान रामवन बाबा की कुटिया
रामपुर-बाघेलान, जिला सतना. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 25000/- रुपये. |

प्रारूप क्रमांक-05

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा] लोक न्यास के पंजीयक रामपुर-बाघेलान के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इस लिये मैं, कमलेश पुरी रामपुर-बाघेलान, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 मई, 2019 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकर्ता न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 16 मई, 2019 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहता हूँ और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

(349)

कमलेश पुरी,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास सिलवानी, जिला रायसेन

रा.प्र.क्र.-01/बी-113/एस.डी.ओ./17-18-18.

प्रारूप-5

(देखें नियम-6)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 में धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री अनिल जैन, सिलवानी के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951-1951 (क) 30 की धारा-2 उपधारा-4 के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं, अनिल कुमार जैन, लोक न्यासों का पंजीयक, सिलवानी, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2018 के 18 जून, 2018 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यह अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

1. रामजानकी मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी.
2. रामजानकी मंदिर स्थित ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी.
3. भूमि ख. नं. 14/1, रकवा 6.070 हे. स्थित ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी.

अचल संपत्ति:- ट्यूब बैल, एक मकान कच्चा 40x15, 3 कमरे का मकान आगे पीछे, 2 दहलान तथा खाली भूमि 15x6 फिट रामजानकी मंदिर के नाम जो स्व. रामवती बाई द्वारा दान पत्र में मंदिर को दी गई थी.

चल संपत्ति:- झालर 2 कीमत चार सौ रुपये, घंटा 1 कीमत दो सौ रुपये, गुंड 1 कीमत तीन सौ रुपये, कोपर एक कीमत दो सौ रुपये, गंजा स्टील का 1 कीमत दो सौ रुपये, थाली 1 तांबे की कीमत 500 रुपये, लोटा 1 तांबे का कीमत दो सौ रुपये, थाली स्टील की 2 कीमत दो सौ रुपये, स्टील के लोटा 2 कीमत 400 रुपये, स्टील के ग्लास 4 कीमत 50 रुपये, 3 गंजी कीमत 50 रुपये.

(363)

अनिल कुमार जैन,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 मई, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

नगर निगम सुपरवाइजर कर्मचारी साख सहकारी समिति,

मर्या., जबलपुर, पं. क्र. 438

क्र./उआस/परि./2019/658.—कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी समिति के संबंध में राय बनाई गई है कि—

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि—

(अ) संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराये गये.

(ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है.

(स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है.

(द) संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है—

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया.

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 31 मई, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें. उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(350)

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

पुलिस कर्मचारी साख सहकारी समिति,

मर्या., जबलपुर, पं. क्र. 110

क्र./उआस/परि./2019/659.—कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी समिति के संबंध में राय बनाई गई है कि—

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि—

- (अ) संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराये गये।
 (ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है।
 (स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है।
 (द) संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
- (2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-
- (1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।
 (2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए।
 (3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।
 (4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की।
 (5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया।
 (6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया।
- उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 31 मई, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(351)

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दि साउथ इंडियन रेल्वे कर्मचारी साख सहकारी

समिति मर्या., जबलपुर, पं. क्र. 459.

कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी समिति के संबंध में राय बनाई गई है कि-

- (1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-
- (अ) संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराये गये।
 (ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है।
 (स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है।
 (द) संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया है।
- (2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-
- (1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।
 (2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए।
 (3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।
 (4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की।

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया।

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया।

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 31 मई, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(352)

जबलपुर, दिनांक 15 मई, 2019

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

नगर निगम हरिजन कर्मचारी साख सहकारी

समिति मर्या., जबलपुर, पं. क्र. 475.

क्र./उआस/परि./2019/661.—कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर मेरे द्वारा आपकी समिति के संबंध में राय बनाई गई है कि—

(1) समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-

(अ) संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराये गये।

(ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है।

(स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है।

(द) संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

(2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-

(1) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा 49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।

(2) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए।

(3) अधिनियम की धारा 49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा 49(9) (ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा।

(4) अधिनियम की धारा 56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की।

(5) सहकारिता नियम 1962 के नियम 23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात सूची का प्रकाशन नहीं किया।

(6) सहकारिता नियम 1962 के नियम 51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया।

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 31 मई, 2019 तक उत्तर प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

शिवम् मिश्रा,

उप-पंजीयक.

(353)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 अप्रैल, 2019

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	गोमती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झिरन्या उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन.	1660/23-02-2005	499/29-03-2019

अतः मैं, आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/ संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/ आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/ सदस्यों/ भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 25 अप्रैल, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एल. परमार,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(344)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 22 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (सी/ग)के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/733.—जनता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम पंजीयन क्रमांक 364, दिनांक 01 अप्रैल, 1985 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के वर्ष 2014-15, 15-16 एवं 16-17 के अंकेक्षकों के लेखी विवरण अनुसार अंकेक्षण के समय न तो संस्था अपने पंजीकृत पते पर मिली और न ही संस्था का रिकार्ड, अंकेक्षण के लिये प्राप्त हुआ है. जिससे अंकेक्षकों को स्पष्ट रहा है कि संस्था अकार्यशील है. अंकेक्षण के लिये संस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होने से अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण टीप की पुनरावृत्ति की गयी है एवं संस्था को तीन सतत् वर्षों तक “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है अर्थात् संस्था अकार्यशील है.

उक्त परिस्थितियों में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया जाकर पंद्रह दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया अथवा दिनांक 05-04-2019 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समक्ष में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया था. परन्तु आपके द्वारा न तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया न समक्ष में उपस्थित हुए. जिससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है एवं उसका संचालक मंडल संस्था चलाने में कोई रुचि नहीं रखता है. यह समाधान हो गया है कि संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाना उचित है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-99 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक 364, दिनांक 01 अप्रैल, 1985 को अधिनियम की धारा 69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री प्रमोद तोमर पद वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री तोमर संस्था का समस्त प्रभार प्राप्त कर तीन दिवस में इस आशय का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(345)

रतलाम, दिनांक 24 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (सी/ग)के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/747.—साईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, रतलाम जिसे आगे संस्था शब्द से संबोधित किया गया

है और जिसका पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 15-06-1993 है, के संचालक मंडल के समस्त सदस्यों द्वारा 23-10-2018 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया था कि संस्था विगत वर्षों से हानि में चल रही है एवं संस्था के कर्मचारी एवं दुकान का किराया भी भुगतान नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा माह जनवरी 2018 से उपभोक्ताओं को राशन देना भी बंद कर दिया गया है. संस्था के संचालक मंडल ने संस्था को बंद करने के लिये ठहराव प्रस्ताव किया है. अतः संस्था को बंद करने का निवेदन किया गया. संस्था की वस्तुस्थिति की जांच श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक से करायी गयी. श्री सोनी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि संस्था की कैशबुक 01 अप्रैल, 2018 से फरवरी 2019 तक लिखी पायी किंतु उसमें कोई लेन-देन नहीं है. दिनांक 20-01-2018 से भंडार में कोई व्यापार नहीं हो रहा है. संस्था की कार्यवाही पुस्तिका में अंतिम कार्यवाही दिनांक 20 जनवरी, 2018 की है. जिसमें यह निर्णय लिया है, लिया गया कि भंडार हानि में है और कोई व्यापार नहीं है. इसलिये भंडार को बंद किया जाये. श्री सोनी ने अपने अभिमत में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है. स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है एवं उसका संचालक मंडल संस्था को बंद करने का निर्णय ले चुका है. अतः यह समाधान हो गया है. कि संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाना उचित है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-99 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, रतलाम पंजीयन क्रमांक 606, दिनांक 15 जून, 1993 को अधिनियम की धारा 69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री देवीलाल उपाध्याय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

परमानंद गोडरिया,
उपायुक्त सहकारिता.

(346)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गठौरा	1964	2173/ 19-12-2018
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मादा	2137	2170/ 19-12-2018
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरहा	1976	2171/ 19-12-2018
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी	1989	2172/ 19-12-2018
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रानीताल	1953	2174/ 19-12-2018
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैठरा	2132	2205/ 24-12-2018
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनपुर	2001	2204/ 24-12-2018
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी उमरिया	1994	2203/ 24-12-2018
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आलासुर सिमरिया	1988	2202/ 24-12-2018
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाटन	1991	2201/ 24-12-2018

अतः मैं, अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(354)

अमित ठाकुर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारिता संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69, के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया	1956	2098/ 14-12-2018
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजवई	1958	2097/ 14-12-2018
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरानेगई	1966	2096/ 14-12-2018
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तलाड़	1967	2095/ 14-12-2018
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीछी	1985	2094/ 14-12-2018

अतः मैं, योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(355)

योगेश दुबे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारिता संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ

अधिनियम, 1960 की धारा-69, के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	महाकाली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	203	2023/ 24-11-2018
2.	भैरोबाबा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	81	2064/ 4-12-2018
3.	प्रभात गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	32	2065/ 4-12-2018

अतः मैं, ललित जैन, सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

ललित जैन,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(356)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारिता संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिसके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69, के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	102	2066/ 4-12-2018

अतः मैं, कृ. उषा कापसे, सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

कृ. उषा कापसे,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(357)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारिता संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिसके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 69, के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	दि जनता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1520	861/ 9-4-2018

अतः मैं, टी. आर. चौधरी, उप अंकेक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(358)

टी. आर. चौधरी,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारिता संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिसके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69, के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	यंग ब्लड शिक्षित बेरोजगार उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	525	460/ 17-2-2016

अतः मैं, श्रीमती इंद्रा ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(359)

इंद्रा ताम्रकार,
परिसमापक एवं व.स.नि.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारिता संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिसके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69, के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	87	2022/ 24-11-2018

अतः मैं, अरविंद जैन, सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(360)

अरविंद जैन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019-ज्येष्ठ 17, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 2 जनवरी, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा है.
2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, बालाघाट व सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी**:- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, देवास, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति** :-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **कटाई** :- जिला सिवनी में तुअर की कटाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई** :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, नीमच, उमरिया, सिंगरोली, शाजापुर, विदिशा, सीहोर, बड़वानी, भोपाल, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति**:-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 2 जनवरी, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों समान. चना, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		गेहूँ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		धनियाबीज समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. *जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
13. *जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		गेहूँ, चना, मसूर, सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	..		जौ कम.		
4. नागौद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोटर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		अलसी, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकचुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, मटर, अधिक. अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) अलसी समान. शेष फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) . .		
3. चंदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, चना, मसूर, जौ, राई-सरसों, गेहूँ समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. रामतिल, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) रामतिल बिगड़ी. शेष फसलें समान.		
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) गेहूँ, सरसों, मटर, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			अधिक. चना, मसूर, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ, चना, रावा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			गेहूँ, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..			(2) ..		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..			4. (1) तुअर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..			(2) ..		
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) रबी, उड़द, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			राई-सरसों कम. गेहूँ, रबी	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..			मूँग, चना अधिक.		
4. बागली	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) तुअर अधिक. कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. रामा	..				
5. झाबुआ	..				
6. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) गोहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
7. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. गौतमपुरा	..				
5. हातोद	..				
6. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) कपास, तुअर, गोहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		चना, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गोहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) चना समान है. गेहूँ सुधरी	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		हुई है.		
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. शमसाबाद	. .				
9. त्यौंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हजूर	. .		तिवडा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		तुअर समान. गन्ना, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .		अलसी, मटर, जौ कम.		
4. नसरूल्लागंज	. .		तुअर समान.		
5. रेहटी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई- सरसों, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) तुअर बिगड़ी हुई हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराधवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	..				
2. नैनपुर	..				
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
3. बजाग	..				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. तामिया	..				
3. परासिया	..				
4. जामई	..				
5. सोंसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है. तुअर की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) मटर, तुअर. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. बरघाट	..				
3. कुरई	..				
4. केवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. धनोरा	..				
8. घंसोर	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्वा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलाँजी	..				

*जिला:- जिला टीकमगढ़, दमोह, आगर व बैतूल से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.